


रिकार्ड लिफ्टर

| पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग) | | की गई भर्ती का विवरण | | | | | अग्रेषित आरक्षण | | नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया) |
|--|-----------|----------------------|--------------------------|--|---|--|-----------------|-----------|--|--|
| अ. जा. | अ. ज. जा. | भर्ती का वर्ष | रोस्टर एवं बिन्दू संख्या | क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा. /अ.ज. जा. के लिए आरक्षित है | नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या अ.जा. / अ.ज. जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे | अ. जा. | अ. ज. जा. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <p>कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(24) डीओपी/क-2/75 दिनांक 20.11.97 द्वारा रिक्तियों के बजाय पद आधारित रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या किसी संवर्ग में के पदों की संख्या के बराबर होगी, तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर का संचालन बन्द हो जाएगा तथा Replacement नियम लागू होगा। विभाग में इस पद का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत अभ्यांश पूर्व में पूर्ण हो चुका है तथा सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/मृत्यु आदि से हुए रिक्त पदों को उसी कटेगिरी से भरा जाना है, जिस कटेगिरी से पद रिक्त हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में Replacement नियम के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है।</p> <p>कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पद आधारित (Post Based) आरक्षण लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित अभ्यांश पूर्ण होने पर भी रोस्टर पंजिका का संधारण किया जाना है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में 01.04.2020 से पदोन्नति से भर्ती के लिए रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार किया जा रहा है :</p> <p>विभाग में रिकार्ड लिफ्टर के 9 पद स्वीकृत हैं जिसमें 1 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दिनांक 01.04.2020 को उक्त स्वीकृत 9 पदों के विरुद्ध निम्नांकित कार्मिक कार्यरत है।</p> | | | | | | | | | | |
| | | 2020-21 | 1 | UR | श्री सुरेन्द्र सिंह | 1988-89 | | | | |
| | | | 2 | UR | श्री मनोज कुमार | 2002-03 | अजजा | | | |
| | | | 3 | UR | श्री राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण | 2003-04 | अजा | | | |
| | | | 4 | UR | श्री रमाकान्त वर्मा | 2019-20 | | | | |


 उपर्युक्त निवेदन (संख्यापत्र) :
 राज्य सेवा पद प्राप्ति के लिए
 राज्य सेवा, जयपुर

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----|-----------------------|---------|----------|--|--|--|--|
| | | 5 | UR | श्री गिरधारीलाल | 2019-20 | अजा | | | | |
| | | 6 | UR | श्री भल्लाराम | 2019-20 | | | | | |
| | | 7 | SC | श्री शिवराज सोनी | 2019-20 | | | | | |
| | | 8 | UR | श्री बहादुर सिंह | 2019-20 | | | | | |
| | | 9 | ST | श्री नारायण लाल शर्मा | 2019-20 | | | | | |
| <p>चयन वर्ष 2020-21 में उक्त विवरणानुसार 01.04.2020 को कोई भी पद रिक्त नहीं है। श्री भल्लाराम की सेवानिवृति दिनांक 30.04.2020 है। अतः चयन वर्ष 2020-21 में पदोन्नति हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-</p> | | | | | | | | | | |
| | | | कुल | सामान्य | अजा-16% | अजजा-12% | | | | |
| स्वीकृत पद | 01.04.2020 | 9 | 7 | 1 | 1 | | | | | |
| कार्यरत पद | 01.04.2020 | 9 | 6 | 2 | 1 | | | | | |
| रिक्त पद | 01.04.2020 | 0 | 1 | 1अधिक | 0 | | | | | |
| सेवानिवृति से रिक्त | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | |
| चयन वर्ष 2020-2021 में कुल रिक्तियां | | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | |

✓ संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य नीमा एवं प्राक्यायी शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर


जमादार

| पूर्व के वर्षों से अग्रेषित आरक्षण (बैकलॉग) | | की गई भर्ती का विवरण | | | | | | अग्रेषित आरक्षण | | नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया) |
|---|-----------|----------------------|--------------------------|--|---|--|--------|-----------------|----|--|--|
| अ. जा. | अ. ज. जा. | भर्ती का वर्ष | रोस्टर एवं बिन्दू संख्या | क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा. /अ.ज. जा. के लिए आरक्षित है | नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि | क्या अ.जा. / अ.ज. जा. है, यदि नहीं, तो नहीं लिखे | अ. जा. | अ. ज. जा. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.15(24) डीओपी/क-2/75 दिनांक 20.11.97 द्वारा रिक्तियों के बजाय पद आधारित रोस्टर लागू किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक रोस्टर में बिन्दुओं की संख्या किसी संवर्ग में के पदों की संख्या के बराबर होगी, तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर का संचालन बन्द हो जाएगा तथा **Replacement** नियम लागू होगा। विभाग में इस पद का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत अभ्यांश पूर्व में पूर्ण हो चुका है तथा सेवानिवृत्ति/पदोन्नति/मृत्यु आदि से हुए रिक्त पदों को उसी कटेगिरी से भरा जाना है, जिस कटेगिरी से पद रिक्त हुआ है। इस प्रकार वर्तमान में **Replacement** नियम के अनुसार पदोन्नतियां प्रदान की जा रही है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(2)कार्मिक/क-2/19 दिनांक 24.02.2020 द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पद आधारित (**Post Based**) आरक्षण लागू होने के पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित अभ्यांश पूर्ण होने पर भी रोस्टर पंजिका का संधारण किया जाना है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में 01.04.2020 से पदोन्नति से भर्ती के लिए रोस्टर पंजिका का संधारण निम्नानुसार किया जा रहा है : विभाग में जमादार के 10 पद स्वीकृत हैं जिसमें 1 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दिनांक 01.04.2020 को उक्त स्वीकृत 10 पदों के विरुद्ध निम्नांकित कार्मिक कार्यरत हैं।

| वर्ष | क्रमांक | श्रेणी | नाम | दिनांक | वर्ग | विवरण |
|---------|---------|--------|------------------------|---------|------|-------|
| 2020-21 | 1 | UR | श्री कैलाश चन्द सांखला | 2003-04 | अजा | SC |
| | 2 | UR | श्रीमती बादामी देवी | 2006-07 | अजा | UR |
| | 3 | UR | श्री हरिशंकर शर्मा | 2011-12 | | UR |
| | 4 | UR | श्री भीमलाल थापा | 2011-12 | | UR |


 मुख्य निदेशक (परिस्थापन)
 जमादार एवं प्रशासकीय निधि विभाग
 जयपुर

